न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2015/00410

विजेन्द्र सिंह आत्मज मदन सिंह जाति राजपूत निवासी झुआसा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. भानूप्रताप सिंह आत्मज अमर सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी। मृतक के बजाय–
   1/1. सुनिता कंवर पत्नी भानुप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी
   1/2. किन्नू आत्मज भानूप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी नाबालिग जरिये संरक्षक एवं हितेशी माता सुनिता कंवर पत्नी भानूप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी।
   1/3. मिष्ठी पुत्री भानुप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी नाबालिग जरिये संरक्षक एवं हितेशी माता सुनिता कंवर पत्नी भानूप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी।
   1/4. काजल पुत्री भानुप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी नाबालिग जरिये संरक्षक एवं हितेशी माता सुनिता कंवर पत्नी भानूप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी।
2. जितेन्द्र सिंह आत्मज अमर सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी
3. सुनिता पुत्री अमर सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी
4. कोशल पुत्री अमर सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी
5. मीना पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी
6. भूली बाई पत्नी अमर सिंह जाति राजपूत निवासी नैनवां रोड बून्दी
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार के.पाटन जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). कृष्णदत्त दाधीच– अधिवक्ता अपीलांट
(2). बृजनारायण शर्मा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6

निर्णय **दिनांक 31.05.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 49/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 27.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम झुंवासा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 1.21 हैक्टेयर जिसके सेटलमेन्ट के पूर्व के खसरा नम्बर 168/2 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात वर्तमान मे अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता एवं पति स्वर्गीय अमर सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात प्रार्थी के पिता ने स्वर्गीय अमर सिंह जो बचपन से ही प्रार्थी के पिता के साथ परिवार का सदस्य के रूप में ही रहता था। इस कारण उसके नाम आवंटित करवाई थी। आवंटन की समस्त राशि भी प्रार्थी के पिता ने ही जमा करवाई थी। इस कारण अमर सिंह ने अपने जीवनकाल मे ही उक्त भूमि के संबंध मे एक वसीयतनामा प्रार्थी के पक्ष मे लिखवाकर अपनी सहमति के हस्ताक्षर गवाहान के समक्ष स्वस्थचित व अपना भला बुरा सोच समझकर चैत्र सुदी सप्तमी संवत् 2052 को कर दी थी। अमर सिंह की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि का खातेदार कृषक है तथा शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु अमर सिंह की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि राजस्व कागजात मे गुपचुप तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली। इसी का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 उक्त भूमि को रहन एवं बय करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने मंसूबों मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपार एवं अनुचित हानि होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष मे है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि को रहन, बय , विक्रय, खुर्द–बुर्द व प्रार्थी के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप कर बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। अन्त मे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वे विवादित आराजीयात के किसी भी भू–भाग पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी प्रतिनिधी ऐजेन्टो से ऐसा करवाये, न ही विवादित भूमि को किसी दीगर को रहन बय करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 27.11.2015 को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 27.11.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थीगण की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का प्रथम दृष्ट्या वाद साबित होने के बावजूद भी मात्र जमाबंदी मे अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत का सही अवलोकन नहीं किया तथा ना ही पूरा पढ़ा। वसीयत मे कहीं मुनाफा–काश्त पर लेने का जिक नहीं है। वसीयत पर अमरसिंह के हस्ताक्षर है, जिसे कभी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अस्वीकार नहीं किया। फसल खराबे का मुआवजा भी हमें ही दिया गया। राजस्व कार्मिकों द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 17.01.2016 से स्पष्ट है कि मौके पर अपीलांट का कब्जा–काश्त है। चूंकि कब्जा–काश्त अपीलांट का है अतः हमारे पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपने जवाब मे कही भी अंकित नहीं किया कि वसीयतनामे पर हस्ताक्षर उनके पिता अमरसिंह के नहीं है। वसीयत के पढ़ने से उसका भाव स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता किसे भूमि देना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत नहीं पढी, अतः अपीलांट को वादग्रस्त आराजीयात मे आधोली की तरह बताया है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि पर स्वयं के कब्जे–काश्त होने के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मुआवजा अपीलांट को मिला तथा मौका रिपोर्ट को भी इन्होने चैलेंज नहीं किया। आवंटन के दस्तावेज भी अपीलांट के पास है तथा पैसे भी अपीलांट के परिवार वालो ने ही चुकाए थे। अतः विवादित भूमि मे हमारे हक अधिकार निहित है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। ऐसे कई न्यायिक दृष्टांत है कि अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई ताकि विवादित भूमि को संरक्षित रखा जा सके। राजस्व कर्मचारियों ने अपीलांट का कब्जा बताया है जिसके आधार पर मुआवजा सरकार द्वारा अपीलांट को दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का कब्जा मानते हुए भी प्रार्थना–पत्र खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो पर गौर नहीं कर कानूनी त्रुटि की है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2020 पेज 82, आर.एल.डब्ल्यु. 2015(1) पेज 450, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 296, आर.आर.टी. 2018–19(सप्लीमेट्री) पेज 531, आर.आर.डी. 2019 पेज 297 प्रस्तुत किये। अन्त मे अपील

अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने लिखित बहस व मौखिक बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को रेस्पोडेन्टगण के पक्ष मे माना है। विवादित आराजीयात सन् 1968 मे रेस्पोडेन्टगण के पिता व पति अमरसिंह को हुई थी। तत्पश्चात उक्त आराजीयात अमरसिंह की खातेदारी मे दर्ज हुई। अमरसिंह की मृत्यु सन् 2010 मे हो गई। अमरसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 के नाम विरासत से दर्ज हुई। वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है। विवादित भूमि पर कब्जा भी रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 का ही है। विवादित आराजीयात के खातेदार रेस्पोडेन्टगण है। एवं उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का पूर्णतया निर्विघन रूप से कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त आराजी ही रेस्पोडेन्टगण का एकमात्र जीविकाउपार्जन का साधन है, जिसकी काश्त से ही रेस्पोडेन्टगण के समस्त परिवार का पालन–पोषण होता चला आ रहा है। जिसके संबंध मे अपीलांट द्वारा पूर्णतया बनावटी व फर्जी सादा कागज पर वसीयत लिखी जाकर उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसको पूर्णतया औचित्यहीन एवं अवैधानिक मानते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे बनावटी व फर्जी तरीके से अपना कब्जा दर्शाया जाकर माननीय न्यायालय को भ्रमित कर अपील प्रस्तुत की है एवं उक्त कब्जे के आधार पर ही अपीलांट उक्त कृषि आराजी के खातेदार के विरूद्ध ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है, जो कि पूर्णतया अवैधानिक एवं औचित्यहीन है। उक्त कृषि आराजी रेस्पोडेन्टगण के पति व पिता एवं दादाजी अमरसिंह के नाम आवंटित हुई थी और उसके पश्चात अमरसिंह की उक्त आराजी के खातेदार होकर उक्त आराजी पर उनके जीवनकाल मे निर्विघ्न रूप से काबिज काश्त रहे। अमरसिंह की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्टगण ही राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार निर्विघ्न रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अमरसिंह के दो पुत्र व दो पुत्रियां व एक विधवा पत्नि उनकी मृत्यु उपरान्त है। इनके होते हुए अमरसिंह द्वारा किसी के भी पक्ष मे वसीयत किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अमरसिंह के नाम पर अन्य कोई कृषि आराजी भी नहीं है एवं उक्त कृषि आराजी ही अमरसिंह के नाम आवंटित हुई थी। अपीलांट का उक्त कृषि आराजी पर कभी भी किसी प्रकार से भौतिक रूप से कब्जा नहीं है और ना ही कब्जे के आधार पर अपीलांट किसी तरह का उक्त कृषि आराजी के सम्बन्ध मे स्वामित्व प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रखता है। अमरसिंह जी द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई वसीयत नहीं लिखी गई। उक्त वसीयत जो कि अपीलांट ने अपने ही अवैधानिक एवं बनावटी तरीके से तैयार की है, वह पूर्णतया औचित्यहीन एवं फर्जी वसीयत है। अपीलांट द्वारा अपील मे कहा गया है कि अपीलांट के पिता मदनसिंह जी द्वारा उक्त कृषि भूमि अमरसिंह के नाम आवंटित करवाई गई जो कि पूर्णतया फर्जी, बनावटी तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि जब मदनसिंह के स्वंय के ही औलादे थी तो यह तथ्य पूर्णतया

औचित्यहीन हो जाता है कि वह अपनी औलादो के नाम से उक्त भूमि आवंटित करवाने के बजाय अमरसिंह के नाम से भूमि आवंटित करवाएंगे, यह तथ्य पूर्णतया औचित्यहीन है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11. 2015 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। विजेन्द्र सिंह आत्मज मदनसिंह ने दिनांक 18.12.2015 को मौका रिपोर्ट मंगवाकर ओला वृष्टि से हुए फसल खराबे की मुआवजा राशि दिलवाए जाने का प्रार्थना–पत्र श्रीमान जिला कलक्टर बूंदी को प्रस्तुत किया, जिसकी पालना मे दिनांक 17.01.2016 को फर्द मौका–रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। इस फर्द–मौका–कब्जा–काश्त मुकाम झुंवासां दिनांक 17.01.2016 मे स्पष्ट अंकित है कि "ग्राम के मोतबीरान द्वारा बताया गया कि हमने खातेदारान को इस आराजी पर कभी भी काश्त करते हुए नहीं देखा। वर्षो से विजेन्द्र सिंह आ0 मदनसिंह को काश्त करते हुए देखते आ रहे है। उक्त आराजी विजेन्द्र सिंह के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। मौका पर्चा बनाकर पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर कराये।" इस पर भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के अतिरिक्त 10 अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी है। इसके अतिरिक्त मिति चैत सुदी 7 सम्वत 2052 की एक लिखावट है जिसे अपीलांट द्वारा वसीयत कथन किया है। यहॉ यह महत्वपूर्ण है कि उक्त वसीयत की विधिक स्थिति क्या है, यह निर्णय मूलवाद मे साक्ष्य आदि लेने के पश्चात होगा। वर्तमान मे केवल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकाश मे प्रकरण को देखा जाना है। अस्थाई व्यादेश का उद्देश्य विवादग्रस्त विषय–वस्तु को उसकी विद्यमान दशा मे बनाए रखना है। अस्थाई व्यादेश देना या नहीं देना तीन स्थापित सिद्धान्तों– प्रथम दृष्ट्या प्रकरण , सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर निर्भर करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.11.2015 मे तीन बिन्दुओ पर विवेचन नहीं किया। अतः हमारे समक्ष प्रस्तुत अपील मे स्थापित तीनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण को देखा जाना उचित होगा।

1. प्रथम दृष्ट्या मामला– प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसके समर्थन मे दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके तथा ऐसा मामला जिसे विरोधी पक्ष गलत सिद्ध नहीं कर सके, तो ऐसे प्रकरण को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र मे कथन किया है कि स्वर्गीय अमर सिंह बचपन से ही प्रार्थी अपीलांट के पिता के साथ परिवार के सदस्य के रूप मे रहता था। अमर सिंह ने अपने जीवनकाल मे ही उक्त भूमि के संबंध मे एक वसीयतनामा प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे चैत्र सुदि सप्तमी संवत् 2052 को कर दी थी। उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थी विवादित आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर भूमि को रहन बय करने पर आमादा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र मे विवादित आराजीयात पर स्वयं

का कब्जा काश्त होने के संबंध मे कथन किया किया है। अमरसिंह की वसीयत स्वयं के पक्ष मे प्रस्तुत की है तथा मूलतः इसके आधार पर स्वयं के पक्ष मे प्रथम दृष्ट्या केस होने का कथन किया है। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि हम रिकॉर्डेड खातेदार है तथा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। हमारे मत में सामान्यतः यह सही है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है, परंतु कोई भी सिद्धान्त उस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे देखा जाना चाहिए। यह सही है कि राजस्व रिकॉर्ड मे रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज है परंतु प्रस्तुत प्रकरण मे प्रकरण वसीयत व मौके पर कब्जे की स्थिति को देखा जाना आवश्यक है। अपीलांट अपना पक्ष मूलवाद में साबित कर पाता है या नहीं, यह वसीयत एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मूलवाद के निर्णय मे तय होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा कथित वसीयत के बारे मे टिप्पणी की है कि लिखावट से स्पष्ट है कि भूमि प्रार्थी को काश्त करने के लिए दी थी। परंतु हमारे विनम्र मत मे प्रार्थी द्वारा वसीयत के रूप मे कथित लिखावट को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण अवलोकन/अध्ययन नहीं किया । इसमें काश्त करने के अलावा अमरसिंह के सौ बरस पूरे होने पर क्या स्थिति हो यह भी अंकित है। हालांकि इस लिखावट(वसीयत) का अंतिम निर्णय उभयपक्षकारान के गवाह, साक्ष्यों आदि प्रस्तुत होने के उपरांत होगा। यहाँ हमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण देखना है। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि प्रकरण मे यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है तथा इस संबंध मे अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2020 पेज 82 प्रस्तुत किया। इस प्रकरण मे विवादित भूमि पर फर्द कब्जा रिपोर्ट दिनांक 17.01.2016 से प्रतीत होता है कि कब्जा अपीलांट प्रार्थी का है। राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित है कि " श्रीमान तहसीलदार साहब के0पाटन के आदेश कमांक 40/भू0अ0/दि0 6–1–16 की पालना मे वाके ग्राम झुंवासा की आराजी ख0न0 197 रकबा 1.21 है0 किस्म बारानी द्वितीय का मौका देखा गया। उक्त आराजी भानूप्रताप सिंह, जितेन्द्र सिंह पिता अमरसिंह सुनीता, कौशल, मीना पुत्रियों अमरसिंह, भूलीबाई बेवा अमरसिंह कौम राजपूत निवासी झुंवासा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौके पर उपस्थित मौतबीरान से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त आराजी ख0न0 197 रकबा 1.21 है0 पर विजेन्द्र सिंह आ0 मदनसिंह कौम राजपूत निवासी झुंवासा काबिज काश्त है। वर्तमान मे सरसों मेथा की फसल है जो विजेन्द्र सिंह द्वारा बुवाई की हुई है। गत रबी मे गेहुँ की फसल थी जो विजेन्द्र सिंह आ0 मदनसिंह द्वारा बुवाई की थी फसल का नुकसान हुआ वो विजेन्द्र सिंह का ही हुआ है। ग्राम के मोतबीरान द्वारा बताया गया कि हमने खातेदारान को इस आराजी पर कभी भी काश्त करते हुए नहीं देखा। वर्षो से विजेन्द्र सिंह आ0 मदनसिंह को काश्त करते हुए देखते आ रहे है। उक्त आराजी विजेन्द्र सिंह के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। मौका पर्चा बनाकर पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर कराये।" अधिवक्ता अपीलांट के अनुसार उनका कब्जा–काश्त होने के कारण मुआवजा भी सरकार ने अपीलांट को दिया तथा इसे रेस्पोडेन्ट ने चुनौती भी नहीं दी। अतः हमारे विनम्र मत मे प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि पर कब्जा–काश्त प्रार्थी अपीलांट का प्रतीत होता

है। पक्षकारान के हक–अधिकार मूलवाद मे तय होंगे, अतः हमारे विनम्र मत मे तब तक इस प्रकरण मे अंकित विवादित आराजी को संरक्षित किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे होना पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन– सुविधा का संतुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की स्थिति मे प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान किसी भी पक्ष को होने वाली संभावित हानि को प्रतिकर देकर पूरा किया जा सकता है अथवा नहीं । किसी एक के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर दूसरे पक्ष को तुलनात्मक रूप से हानि होने की संभावना को सुविधा के संतुलन से विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। विवादित आराजीयात पर प्रथम दृष्ट्या कब्जा अपीलांट प्रार्थी का प्रतीत होता है। हालांकि कब्जे व अन्य बिन्दुओं का अंतिम निर्धारण मूलवाद मे तय होगा। परंतु यदि किसी काबिज–काश्त व्यक्ति को बिना विधिक प्रकिया के हटाया जाता है तो उसे असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे होना पाया जाता है।

3.अपूरणीय क्षति– यह तथ्य रिकॉर्ड से साबित है कि वर्तमान मे भूमि प्रतिवादीगण के नाम है, अतः यदि प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि को विकय, रहन या खुर्द–बुर्द करते है तो अपूरणीय क्षति अपीलांट प्रार्थी को होगी। क्योंकि यदि भूमि का अन्तरण हो जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी तथा इससे वाद बहुलता भी बढ़ेगी। अतः उपर्युक्त तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे पाए जाने से अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद के सभी बिन्दु तथा हक अधिकार मूलवाद मे तय होंगे, परन्तु प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए विवादित आराजी को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 49/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 27.11.2015 निरस्त किया जाता है तथा मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे विवादित कृषि भूमि (वाके ग्राम झुंवासा तहसील केशोरायपाटन की खसरा नम्बर 197 रकबा 1.21 हैक्टेयर जिसके सैटलमेंट से पूर्व के खसरा नम्बर 168/2 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा है) का अन्तरण, विकय, रहन आदि नहीं करें तथा मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा